230

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. /
नि/भिण्ड/भू.रा./2017/2722
प्रस्तुत द्वारा
दि 18-8-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-8-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राधेश्याम सिंह पुत्र प्रताप सिंह
निवासी ग्राम कनावर मजरा कोट तह.
व जिला भिण्ड म.प्र. --- आवेदक

बनाम

श्रीमती रानी देवी पुत्री मुरारी सिंह
पत्नी भगवान दास निवासी ग्राम कनावर
हाल कोथर तह. पोरसा जिला मुरैना म.प्र.
-- अनावेदक

18-8-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, नये संशोधन अधि. 2011
द्वारा पारित न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भिण्ड म.प्र.
प्र. क्र. 23/15-16 अपील राधेश्याम विरुद्ध श्रीमती रानी देवी
के निर्णय से दुखी होकर ,

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यों पर एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. यह कि, अनावेदक श्रीमती रानी देवी द्वारा अपने पिता मुरारीदास उर्फ मुरारी सिंह की मृत्यु दि. 11.7.09 को हो जाने के बाद उनकी कृषि भूमि स्थित मोजा कनावर मात्र 10 बिस्वा पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र न्यायालय अधीक्षक भू प्रबंधन जिला भिण्ड दौराने बन्दोबस्त लगाया ।

2. यह कि, प्रकरण न्यायालय अधीक्षक भू प्रबंधन द्वारा दौराने बन्दोबस्त उदघोषणा एवं इश्तहार का प्रकाशन कराया जिसमें मुरारी सिंह के भाई प्रताप सिंह के लड़के राधेश्याम आवेदक द्वारा आपत्ति पत्र न्यायालय अधीक्षक भू प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/2722

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	